श्रमायुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

न्यूनतम वेतन

एवं

मंहगाई भत्ते की दरें

दिनांक 01/04/2021 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाईट **www.labour.mp.gov.in** पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु
दिनांक 01/04/2021 से प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
मंहगाई भत्ते की दरें

1 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क. 03–15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची "क"	पृष्ठ क. 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क. 17–19
बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क. 20–28
अगरबत्ती उद्योग	पृष्ठ क. 29–35
अन्य	पृष्ठ क. 36–37

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांकः 1/11/अन्वे/पांच/2015/9952-10151, इंदौर, दिनांक 1/4/2021

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. विरेन्द्र सिह रावत, श्रमायुक्त म.प्र. एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष 2020	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई	336
अगस्त	338
सितम्बर	339.84
अक्टुबर	344.16
नवम्बर	345.31
दिसम्बर	342.14
औसत	2045.45÷6=340.90 (341)

तथा इनका औसत 341 घोषित करता हूं,जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क. एफ 4(सी)1-2013/अ-16. के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ कमांक 358 से 380, 384से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, कमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(जनवरी–जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इन्दौर की अधिसूचना 1/11/अन्वे./पांच/2015 9952–10151 दिनांक 1/4/2021 के अनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 341 रहा है। गत छः माही का औसत 329 रहा था अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 329 के ऊपर (341–329)=12 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई हैं । जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्धकुशल,कुशल,एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25 प्रतिबिन्दुं प्रतिमाह के मान से रूपये (25x12) = 300-00 की वृद्धि हुई है तद्नुसार अर्द्धकुशल,कुशल, एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(2001=100) के उपर कुल उपभोक्ताा मूल्य सूचकांक में (341–241)=100 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (25x100)=2500.00 प्रतिमाह या (2500÷26)रूपये 96.15 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (341–253)=88 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (88X25)=2200.00 प्रतिमाह या प्रतिदिन (2200÷26) =84.61 रूपये दिनांक 1.04.2021 से 30.10.2021. देय है। (अनुसूचि अ,ब,स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/ 92/नि–5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना कमांक 3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूची "क" के अनुसार निर्धारित करता हूं , जो दिनांक 1.04.2021 से 30.10.2021 तक देय है।